

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 02/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मफतकंवर बनाम हरदानराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थनी वकील :- श्री मुकनसिंह राठौड़

विप्रार्थीगण वकील :-

**निर्णय**

**दिनांक - 29.06.17**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प बीजासर मे पेश हुई। विप्रार्थीगण के कोर्ट कैम्प के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो पत्रावली शामिल किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवार क्षेत्र मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 741/571 रकबा 50.06 बीघा स्थित है। प्रार्थनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थनी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थनी के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थनी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद इब्रे का तला, पटवार क्षेत्र मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 741/571 रकबा 50.06 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक बीजासर को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बीजासर मे दिनांक 29.06.2017 को सुनाया गया ।



(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2017/ 1642

दिनांक:- 10/7/17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक  
बीजासर

प्रार्थनी :-

1. मफतकंवर पत्नि जगतसिंह, जाति राजपूत  
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन  
जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण :-

1. हरदानराम पुत्र धारूराम मेघवाल 2. भारमल पुत्र  
परागाराम मेघवाल 3. मूलाराम पुत्र सोनाराम जाट  
4. चूनसिंह पुत्र रूपसिंह राजपुरोहित 5. गेमरदान पुत्र  
डूंगरदान चारण 6. धनाराम पुत्र बांकाराम जाट  
निवासी इब्रे का तला, तहसील सेड़वा।  
7. तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 02/2017

दिनांक : 29-06-17

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवार क्षेत्र मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 741/571 रकबा 50.06 बीघा भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे। मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2017/ 1643-47  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार सेड़वा
- 2 संबंधित पटवारी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थनी मफतकंवर
- 4 विप्रार्थीगण हरदानराम वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक:-

10/7/17

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन